न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

Azadi Ka Amrit Mahotsav

न्याय का संबल

पति–पत्नी का, जब हुआ विवाद,
हो गया दुःखद, बच्चों का जीवन।
बन गया सेतु, लोक–अदालत से,
परिवार का हुआ, सुखद मिलन।।

खुशियों से रिश्तें, महक उठे हैं,
खत्म हो गया, बिखराव का दौर।
सात–जन्मों का, रिश्ता बच गया,
लोक–अदालत की, जो थामी डोर।।

माँ बाप तो, लड़कर अलग हुए,
पीड़ा बच्चों की, समझेगा कौन।
उजड़ा घर, बस गया फिर से,
लोक अदालत में, जब टूटा मौन।।

सिविल मामले में, करो सुलह तो,
न्यायालय, कोर्ट फीस लौटाते हैं।
लोक अदालत की, समझाइश से,
कई घर भी, टूटने से बच जाते हैं।।

न्याय का संबल

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	बालकों व विद्यार्थियों के अधिकार	1–12
2	महिलाओं के अधिकार	13–19
3	वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार	20–26
4	मानसिक विमंदित व्यक्तियों के अधिकार	27–32
5	बन्दियों के अधिकार	33–38

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

Phone: 0141-2227481, Fax: 2227602

Toll Free Help Line 15100/9928900900

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in

website: www.rlsa.gov.in

सिविल वाद का, लोक अदालत में,
राजीनामा से, जब हुआ समाधान।
न्याय शुल्क भी, मिल गया वापस,
वादी के चेहरे पर, आ गई मुस्कान।।

छोटी–छोटी बातों पर, जो लड़ गए,
सम्पत्ति विवाद से, बन गए दुश्मन।
लोक–अदालत में, आकर तो देखो,
यहाँ सुलझ जाएगी, सारी उलझन।।

छोड़ भी दो अब, शिकवे–शिकायत,
भूलकर नफरत, हम झगड़े सुलझाएँ।
ईद व होली हैं, भाईचारे का त्यौहार,
लोक अदालत भी, इसी तरह मनाएँ।।

मौखिक वचन पर, जो डटे रहते हैं,
सामाजिक–प्रतिष्ठा वो कमायेगें।
चैक का मतलब हैं, लिखित वचन,
लोक अदालत में वचन निभायेगें।।

बालकों व विद्यार्थियों के अधिकार

बालक देश का भविष्य है। किसी भी देश का सम्पूर्ण विकास बालकों पर निर्भर होता है। अतः बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से सुदृढ़ एवं सुसंस्कारित होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु भारत के संविधान और कानून में उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहां कुछ महत्त्वपूर्ण कानूनी अधिकारों का उल्लेख किया जा रहा है –

1. जीवन जीने का अधिकार :–

हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें बालक भी सम्मिलित है, को जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसे सम्मानजनक एवं गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार है। बालक को अवैध रूप से इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य है कि वे बालकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करें।

2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार :–

6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा बालकों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 21–। में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है और राज्य पर इसका दायित्व डाला गया है। बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। इस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

(i) अधिनियम की धारा 2 में बालक को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार बालक से अभिप्राय 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक या बालिकाओं से है। प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा से है तथा माता–पिता से अभिप्राय किसी बालक के प्राकृतिक या सौतेले या दत्तक पिता या माता से है।

(ii) अधिनियम के अनुसार विद्यालय से अभिप्राय प्रारंभिक शिक्षा देने वाले किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से है, इसमें निम्न सम्मिलित हैं :–

(क) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित,उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय।

(ख) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से पूर्ण अथवा आंशिक सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई विद्यालय।

(ग) विर्निदिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय।

(घ) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर सहायता प्राप्त विद्यालय।

(iii) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसे बालकों से किसी प्रकार की फीस या प्रभार या व्यय वसूल नहीं किया जाएगा।

(iv) यदि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है तथा उस बालक ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

(v) जहां किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, वहां ऐसे बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कने के लिए किसी सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

(vi) अधिनियम की धारा 6 के अनुसार समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया है कि जिन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित नहीं हैं, वहां विद्यालय स्थापित किए जावें। अधिनियम की धारा 8 व 9 के अंतर्गत समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी पर प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व अधिरोपित किया है।

(vii) अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान किया है कि सभी सरकारी विद्यालय बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। सरकार से सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालय 25 प्रतिशत बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तथा विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालय बड़ी कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत स्थानों पर ऐसे बालकों को प्रवेश देंगे जो दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे।

(viii)अधिनियम की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक माता–पिता या संरक्षक पर यह

कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वे आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा हेतु अपने बालकों का प्रवेश कराएं।

(ix) अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किसी बालक को अकादमिक वर्ष के प्रारंम्भ पर या निर्धारित/विस्तारित अवधि के भीतर किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा।

3. दंड से मुक्ति का अधिकार :–

(i) छोटे बालकों अर्थात् शिशुओं को अपराधिक मामलों में दंडित नहीं किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में यह कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कोई कृत्य, अपराध नहीं है और उसे ऐसे कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बालक अथवा शिशु को केवल तभी दंडित किया जा सकता है, जब उसे अपने द्वारा किए गए कृत्य की प्रकृति का ज्ञान रहा हो।

(ii) कई बार बालक जाने–अनजाने अपराध कर बैठते हैं। इस संबंध में एक विशेष कानून– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की किशोर की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों को अपराधी नहीं कहकर अपचारी बालक अथवा विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः ऐसे बालकों को कोई दंड नहीं दिया जाता है और उन्हें सुधार गृह में भेज दिया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे बालकों को न तो हथकड़ी लगाई जाती है और न जेल में बंद रखा जाता है। इस अधिनियम में अपराधों को छोटे/गंभीर/जघन्य अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 वर्ष की आयु के बालक को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आंकलन/जांच करने के बाद वयस्क माना जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य विधि विरूद्व क्रियाओं में लिप्त किशोरों को सुधार करके समाज की मुख्यधारा में लाया जाना है।

(iii) ऐसे बालकों के मामलों के लिए पृथक से किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है। उक्त बोर्ड में न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष होता है तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला होनी चाहिए। प्रत्येक जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड बनाए गए हैं। सामान्यतः अपचारी बालक को

जमानत पर छोड़ दिया जाता है और जमानत नहीं होने की स्थिति में उन्हें बाल सम्प्रेषण गृह में रखा जाता है।

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया

(i) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या अपचारी बालक को जैसे ही पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो उसे विशेष पुलिस बल इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाता है। जहाँ अपचारी बालक को इस प्रकार पकड़ा जाता है तो उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। अपचारी बालक को बिना विलम्ब किए पकड़े जाने के समय से 24 घंटे के भीतर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर)बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

(ii) अधिनियम का उल्लंघन करने वाले बालक को किसी भी स्थिति में पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या कारागृह में नहीं रखा जाएगा। जमानत नहीं होने की स्थिति में उसे बाल सम्प्रेषण गृह भेजा जाता है।

(iii) जब संबंधित पुलिस अधिकारी, अपचारी बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपते हैं, तो तत्काल ऐसे अपचारी बालक के माता–पिता या संरक्षक को सूचित किया जाएगा तथा जमानतीय अपराध की स्थिति में अंडरटैकिंग पर उन्हें उनके माता–पिता/अभिभावक को सौंप दिया जाएगा और उन्हें उस बोर्ड के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा तथा उस तिथि व समय की जानकारी दी जाएगी, जब माता–पिता या संरक्षक को बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना है।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी द्वारा और यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बालक की सामाजिक, आर्थिक स्थिति की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह रिपोर्ट बोर्ड के लिए जांच कार्य में सहायक सिद्ध हो सकती है।

(v) जहां बच्चे को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को बोर्ड द्वारा सूचित किया जाएगा।

(vi) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग निम्न अधिनियमों के क्रियान्वयन और निगरानी रखने के लिए

नामित प्राधिकरण बनाया गया है :–

(क) किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

(ख) लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

(ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

4. शोषण के विरुद्ध अधिकार :–

संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में ये प्रावधान किया गया है, कि किसी भी बालक का न तो शोषण किया जाएगा और न ही उससे बेगार ली जा सकती है। उनका अनुचित व्यापार अर्थात यौन शोषण भी नहीं किया जा सकता है। बालकों को बंधुआ मजदूर भी नहीं बनाया जा सकता।

5 कारखानों में नियोजन से सुरक्षा :–

कारखाना अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 24 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि बालकों से कठोर श्रम नहीं लिया जाए ताकि उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास प्रभावित नहीं हो।

बाल मजदूरी व बाल तस्करी रोकने हेतु कानून

(i) बच्चों का भीख मांगने के लिए या अन्यथा अपहरण भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध है (भारतीय दंड संहिता की धारा 370,367,368)

(ii) बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

(iii) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

बाल श्रम व बाल तस्करी के दुष्परिणाम

(i) बच्चे देश का भविष्य हैं, यदि उन्हें कम उम्र में ही मजदूरी में लगाया जाता है,तो उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है तथा उनका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध होता हैं। बच्चों के अस्वस्थ, अशिक्षित व अविकसित होने पर देश का विकास प्रभावित होता है।

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अधिकांश बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। बौद्धिक व शारीरिक विकास नहीं होने से वे बाद में भी कुशलतापूर्वक श्रम नहीं कर पाते, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को सहारा

मिलने के स्थान पर वे समाज पर बोझ बनकर रह जाते हैं।

(iii) अशिक्षित बच्चे आगे चलकर नशाखोरी या अन्य अनेक सामाजिक बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे समाज व देश की प्रगति अवरुद्ध होती है।

(iv) गरीबी व अशिक्षा के कारण बच्चे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। नशे का कारोबार करने वाले व अन्य अपराधी लोग स्वयं को कानून से बचाने के लिए नाबालिग बच्चों को अपराधों में धकेल देते हैं, जो समाज के लिए घातक है।

बाल श्रम व बाल तस्करी रोकथाम के उपाय

(i) विधिक सेवा संस्थाओं का ये दायित्व है कि वे बाल श्रम व बाल तस्करी से जुड़े सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित कर इस बारे में आमजन को जागरूक करें और ये बताएं कि बालश्रम व बाल तस्करी गंभीर अपराध है। इसमें लिप्त होने पर सजा मिलना निश्चित है।

(ii) कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह सस्ती, गुणवत्तापूर्ण व रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था करे, ताकि देश का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करके रोजगार में संलग्न हो और अपना जीवन मानवीय गरिमा के अनुसार जी सके।

(iii) विधिक सेवा संस्थाएं, पुलिस, स्वयंसेवी संस्थाएं व अन्य लोग मिलकर कार्य योजना तैयार करें और ऐसे उद्योग पर नजर रखे जिनमें बालकों को नियोजित किया जाता है, जैसे–बीड़ी, माचिस, पटाखे, आरी–तारी, चूड़ी बनाने वाले उद्योग।

(iv) बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को उनके माता–पिता के पास पहुँचाया जाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए और यदि ऐसे बच्चों के माता–पिता उन्हें भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो पालनहार योजना जैसी योजनाओं से जोड़कर उनकी देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

(v) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल मजदूरों को मुक्त कराने पर उनके पुनर्वास हेतु पीड़ित प्रतिकर दिलाने की व्यवस्था की गई है। अतः पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के माध्यम से भी ऐसे बच्चों को सहायता उपलब्ध कराई जाए।

6. भरण–पोषण का अधिकार :–

प्रत्येक बालक को अपने माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक माता–पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बालकों का भरण–पोषण करे। जब तक बालक वयस्क नहीं हो जाता तब तक माता–पिता उसकी परवरिश करने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि कोई बालक अथवा अविवाहित बालिका विकलांग है, मंद बुद्धि है, तब भी माता–पिता का दायित्व है कि वह उसका भरण पोषण करे।

7. बाल विवाह के विरूद्ध अधिकार :–

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार बाल विवाह कानूनन अपराध है। जब तक बालक की आयु 21 वर्ष और बालिका की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती है, तब तक उनका विवाह नहीं किया जा सकता। यह कानून इसलिए बनाया गया है, ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। 21 वर्ष से कम आयु के बालक व 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह करने पर, ऐसे व्यक्ति जो बाल विवाह कराते हैं या बाल विवाह के लिए दुष्प्रेरित या प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें 2 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। ऐसे बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति चाहे वह बाराती, पंडित, हलवाई, बैंड वाला, नाई, घोड़ी वाला, या अन्य कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप में ऐसे विवाह में सम्मिलित हो रहा हो, तो वह भी उक्त अपराध के लिए दंड का भागी होगा।

बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रार्थना–पत्र कैसे प्रस्तुत करें

(i) बाल विवाह रोकने हेतु आवेदन संबंधित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा ऐसी शिकायत सरकारी अधिकारी जैसे जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विद्यालय अध्यापक, सरपंच, सचिव, पटवारी, पुलिस अधिकारी, या अन्य जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को की जा सकती है।

(ii) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ऐसी शिकायत की जा सकती है।

(iii) गैर सरकारी संगठन के माध्यम से भी ऐसी शिकायत की जा सकती है।

(iv) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या ताल्लुका विधिक सेवा समिति के

कार्यालय में भी ऐसी सूचना व शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।

(v) विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय स्वयं भी प्रसंज्ञान ले सकता है।

अपराध की प्रकृति

बाल विवाह का अपराध संज्ञेय व अजमानतीय होता है, अर्थात् पुलिस बिना किसी वारण्ट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है।

कानूनी प्रावधान

(i) न्यायालय बाल विवाह को रोकने हेतु स्थगन आदेश जारी कर सकेगा। यदि स्थगन आदेश के बावजूद विवाह सम्पन्न किया जाता है तो दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपए तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट विवाह को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

(iii) बाल विवाह रोकने के आदेश के बाद भी विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा जिसके लिए जिला न्यायालय (जहां पारिवारिक न्यायालय है वहां पारिवारिक न्यायालय में) आवेदन किया जा सकेगा।

(iv) यदि माता–पिता, संरक्षक के संरक्षण से फुसलाकर विवाह किया जाता है, यदि बालक को बाल विवाह के लिए बलपूर्वक या प्रवंचना द्वारा किसी स्थान पर ले जाया गया है अथवा यदि विवाह के लिए बेचा गया है तो ऐसा बाल विवाह अकृत व शून्य होगा।

(v) बाल विवाह होने के बाद भी उक्त विवाह के जोडे में से कोई भी बालिग होने के 2 वर्ष के भीतर न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है।

8. बालक की अभिरक्षा व दत्तक संबंधी अधिकार :–

हिन्दू विधि एवं अन्य सभी विधियों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जब भी बालक को किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया जाना है तब उसके कल्याण को सर्वोपरि महत्व दिया जाएगा। अर्थात् जहां बालक का कल्याण संरक्षित हो, वहीं बालक को अभिरक्षा में सौंपा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि बालक को केवल पिता की ही अभिरक्षा में सौंपा जाए। यदि माता अथवा अन्य कोई नातेदार उसकी अच्छी परवरिश कर सकता है, तो उसे उनकी अभिरक्षा में दिया जा सकता है।

हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम के अनुसार कोई भी निःसंतान व्यक्ति ऐसे बालक को दत्तक ले सकता है जो हिन्दू हो, जो पहले से दत्तक नहीं गया है, जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो अविवाहित है, लेकिन जहां रूढि या प्रथा अनुमति देती हो वहां 15 वर्ष से अधिक आयु के बालक को या विवाहित व्यक्ति को भी दत्तक में लिया जा सकता है। जब कोई बालक दत्तक ले लिया जाता है तब उसे दत्तक परिवार में सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् उसे वे सभी अधिकार मिल जाते हैं जो प्राकृतिक पुत्र या पुत्री को मिले होते हैं।

9. बालकों से संबंधित अन्य कानूनी जानकारी :–

(i) **नकल विरोधी कानून :–** छात्रों में नकल की प्रवृति पर अंकुश लगाने हेतु राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 बनाया गया है। अनुचित साधनों का अर्थ है परीक्षा में किसी भी व्यक्ति या बाहरी साधनों जैसे मुद्रित सामग्री या टेलीफोन इत्यादि की सहायता लेकर पेपर हल करना। नकल करना अपराध है जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास या दो हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत पेपर आउट करना भी अपराध है। प्रश्न–पत्रों की चोरी करना, डकैती या अनुचित रूप से प्रश्न–पत्रों को कब्जे में रखना, नकल करने में सहायता करना भी अपराध है और ऐसा करने पर सजा हो सकती है। किसी अन्य व्यक्ति से अपना पेपर दिलवाना या अन्य किसी छात्र की जगह खुद पेपर देकर आना भी अपराध है। यदि सरकारी नौकरी लगवाने के लिए कोई व्यक्ति पैसे प्राप्त करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई छात्र ऐसे व्यक्ति को रुपए देता है तो वह वापस नहीं मांग सकता क्योंकि विधि की दृष्टि में ऐसा अनुबंध शून्य है।

परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को धारा 6 के अंतर्गत 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास या 2000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। यदि ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने में, उस पर हमला करने अथवा उसे चोट पहुंचाने अथवा उसे सदोष रूप से अवरुद्ध किये जाने के आशय से अथवा तैयारी के साथ किया जाता है तो उसे तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास एवं 5 हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

(ii) **रैगिंग विरोधी कानून :–** शिक्षण संस्थाओं में नए आने वाले छात्रों के साथ रैगिंग की जाती है, जो एक बुराई है। रैगिंग का तात्पर्य है ऐसा कोई कृत्य करना जिससे किसी विद्यार्थी को शारीरिक अथवा मानसिक क्षति कारित हो, शर्मिन्दगी हो। जैसे किसी विद्यार्थी को चिढ़ाना या उसका मजाक उड़ाना अथवा किसी विद्यार्थी से ऐसा कार्य करने को कहना जिसे वे सामान्य अनुक्रम में नहीं करता। वर्तमान में रैगिंग अमानवीय, भद्दे तथा यातनापूर्वक तरीके से शालीनता व नैतिकता के विरुद्ध प्रचलित है। जिसके अंतर्गत ड्रेस कोड रैंगिग, औपचारिक परिचय, मौखिक यातना, भद्दे या असभ्य प्रश्न करना, मजाक उड़ाना, मादक पादार्थ लेने के लिए बाध्य करना, सीनियर छात्रों के लिए नोट्स बनाना, यौन उत्पीड़न आदि सम्मिलित हैं।

रैगिंग के दुष्प्रभाव

(क) शारीरिक एवं मानसिक कष्ट।

(ख) मानवाधिकारों का हनन।

(ग) मादक पदार्थों के सेवन की शुरुआत करने से नशे की गिरफ्त में आना।

(घ) कॉलेज छोड़ना।

(ङ.) सामूहिक हिंसा।

(च) आत्महत्या।

- रैगिंग का दुष्प्रभाव छात्र के अतिरिक्त उसके परिवार व शिक्षण संस्थाओं पर भी पड़ता है। रैगिंग से पीड़ित छात्र के परिवार को भी अपने बच्चों को देखकर पीड़ा भोगनी पड़ती है तथा ऐसे शिक्षण संस्थानों की छवि भी खराब होती है।
- रैगिंग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में दिशा–निर्देश दिए गए हैं। रैगिंग ऑफ फ्रेशर्स इन तिरूवनन्तपुरम गवर्नमेंन्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम स्टेट ऑफ केरल, ए.आई.आर. 2000 केरल 245 के मामले में अवधारित किया है कि रैगिंग के प्रत्येक मामले में कॉलेज/स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी निश्चित किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में कॉलेज/स्कूल प्रशासन द्वारा दोषी छात्र के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए तथा ऐसे प्रत्येक मामले की जानकारी उनके द्वारा जिला स्तर पर गठित एन्टी

रैगिंग कमेटी व सम्बन्धित यूनिवर्सिटी को दी जानी चाहिए। रैगिंग का अपराध करने वाले दोषी छात्र को जुर्माने या कारावास के दंड से दण्डित किया जा सकता है।

(iii) **धूम्रपान का निषेध :–** धूम्रपान न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति बल्कि साथ वाले व्यक्ति के लिए भी हानिकारक है। भारतीय संसद द्वारा धूम्रपान निषेध के संबंध में वर्ष 2003 में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 पारित किया गया है, जिसकी धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना निषिद्ध है। अधिनियम में ऐसे रेस्टोरेन्ट जिसमें 30 या अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो तथा ऐसे होटल जिसमें 30 कमरे हों में धूम्रपान करने वाले व्यक्तिओं के लिए पृथक स्थान उपलब्ध करवाना अनिवार्य बनाया गया है। सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करने पर दो सौ रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को सिगरेट तथा तम्बाकू उत्पाद बेचना अथवा प्रदान करना अपराध है। शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की दूरी के भीतर यह उत्पाद बेचना निषिद्ध है। इसके उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस कानून के तहत सार्वजनिक स्थान के मालिक, प्रबन्धक अथवा पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे स्थानों पर धूम्रपान न हो। जिस स्थान पर लोगों की पहुँच होती है, उसे सर्वाजनिक स्थान कहा जाता है, जैसे अस्पताल, रेल्वे प्रतिक्षा कक्ष, मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षणिक संस्थान आदि। अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध जमानतीय होंगे।

गुटखे पर लगी पाबंदी

राज्य सरकार ने दिनांक 18 जुलाई 2012 से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जर्दा मिले हुए पान मसाला पर रोक लगा दी है। अर्थात जर्दा (तम्बाकू, निकोटिन आदि) मिले हुये गुट्खे के निर्माण, भण्डारण तथा इसके बेचान पर अब रोक लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर 25,000/– रूपये से लेकर दस लाख रूपये तक का जुर्माना लगायाजा सकेगा।

(iv) **कन्या भ्रूण हत्या :–** प्रसूति पूर्व अथवा पश्चात् आनुवांशिक विकारों, भ्रूण

के शरीर की विषमताओं का पता लगाने के लिए, प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के नियमन हेतु तथा इस तकनीक के दुरूपयोग को रोकने, लिंग पता कर कन्या भ्रूण की हत्या को रोकने के प्रयोजन हेतु सरकार ने एक कानून बनाया है, जिसे गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 कहते हैं। अधिनियम में गर्भ के भ्रूण को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि भ्रूण का मतलब है फर्टिलाइजेशन के पश्चात् आठ सप्ताह (56 दिवस) के समय की मानव रचना। इस कानून में गर्भ में लिंग जांच दण्डनीय है। किसी भी व्यक्ति द्वारा शब्दों, इशारों या अन्य तरीके से गर्भ का लिंग बताना दण्डनीय है। कोई भी व्यक्ति जो गर्भ की लिंग जांच या लिंग चयन के लिए इन तकनीकों की सहायता लेता है, इस कानून में दण्डित हो सकता है। अगर किसी औरत को जांच के लिए मजबूर किया गया हो, तो उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सजा नहीं दी जाएगी। लिंग जांच करने वाले को 3 साल तक के कारावास और 10,000 / –रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। दोबारा अपराध करने पर 5 साल तक के कारावास और 50,000 / –रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। लिंग जांच या लिंग चयन के लिए किसी प्रकार का इश्तिहार देना दण्डनीय है। ऐसा करने के लिए दण्ड है– 3 साल तक का कारावास और 10,000 / –रूपये तक का जुर्माना।

लिंग जांच करने वाले पंजीकृत डायग्नोस्टिक केन्द्र या क्लिनिक का क्या होगा?

ऐसे केन्द्रों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) रद्द कर दिया जाएगा और उसे सील कर दिया जाएगा।यदि आप किसी ऐसे क्लिनिक, डॉक्टर या व्यक्ति को जानते हैं, जो लिंग जांच चयन करते हों तो उनकी शिकायत अपने क्षेत्र के समुचित प्राधिकरण को करें।

महिलाओं के अधिकार

जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। भारतीय संस्कृति की इस प्रेरणादायक उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि हमारी संस्कृति में नारी का क्या स्थान रहा है। स्त्री न सिर्फ परिवार की धुरी है, अपितु वह सम्पूर्ण समाज का भी आधार है। किसी भी देश का भविष्य, विकास और उत्थान इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में नारी की स्थिति कैसी है। महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान व भागीदारी को देखते हुए उनकी सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए उन्हें विशिष्ट कानूनी अधिकार व सुविधाएं दी गई हैं। उनके संरक्षण व कल्याण के लिए कई प्रकार की सामाजिक योजना भी चलाई गई हैं। महिला सशक्तिकरण के संबंध में विशिष्ट उपबंधों का यहां उल्लेख किया जा रहा है :–

1. संवैधानिक उपबंध–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी महिला को कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से, राज्य वंचित नहीं करेगा। स्त्रियों को पुरूषों के समान वेतन मिलेगा। लिंग के आधार पर नौकरियों में नियुक्ति देनें के संबंध में, निर्वाचित नियमावलियों में नाम सम्मिलित करने में, मताधिकार के बारे में, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका दायर करने या किसी न्यायिक कार्यवाही में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

2. कानूनी उपबंध– महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता व सुदृढ़ सामाजिक आधार देने के लिए उनके हितार्थ कई विधायी कानून बनाए गए हैं। जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्न प्रकार है :–

दहेज प्रतिषेध संबंधी कानून

दहेज देना व लेना एक सामाजिक बुराई है,साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने व देने को दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है, जिसमें 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दहेज की मांग करना या इस संबंध में कोई प्रस्थापना संबंधी विज्ञापन करना भी दंडनीय अपराध है। विवाह के समय यदि महिला को कोई भेंट या उपहार दिया जाता है तो वह सूची बनाकर दिया जा सकता है और उस स्थिति में वह अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा। विवाह के समय इस प्रकार दी गई भेंट महिला का स्त्री धन माना जाता है। महिला के द्वारा अपने स्त्रीधन की मांग

करने पर भी, यदि उसके पति या नातेदारों द्वारा उन्हें न्यस्त स्त्रीधन नहीं लौटाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध है। विवाह के पश्चात दहेज की मांग को लेकर पत्नी को यदि तंग, परेशान व प्रताड़ित किया जाता है या उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है तो वह धारा 498(ए) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

महिला की शादी होने के 7 वर्ष के भीतर यदि उसकी अस्वाभाविक मृत्यु कारित होती है और यह पाया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था तो यह दहेज मृत्यु होगी और भारतीय दंड संहिता की धारा 304—ख के तहत दंडनीय अपराध होगा, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है तथा न्यूनतम 7 वर्ष की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

सती निवारण संबंधी कानून

भारतीय समाज में समय के साथ कई कुरीतियाँ व सामाजिक बुराईयॉ प्रचलित हो गई है, जिनमें से एक बुराई सती प्रथा भी है। समाज में सुरक्षा, जागृति व विकास होने के साथ इस प्रथा का विरोध किया गया और इस कुरीति को दूर करने के लिए राजस्थान सती निवारण अधिनियम, 1987 पारित किया गया। उक्त अधिनियम के अनुसार यदि कोई महिला सती होने का प्रयत्न करती है, तो वह कारावास व जुर्माने से दंडनीय अपराध होगा। सती होने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दुष्प्रेरित किया जाता है, तो वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने के दंड का भागी होगा। सती होने के संबंध में जुलूस में भाग लेना या विधवा को यह विश्वास दिलाना कि सती होने के परिणामस्वरूप उसके मृतक पति को आध्यात्मिक फायदा होगा तो यह भी कारावास से दंडनीय अपराध है। सती का गौरवान्वयन या उस महिला का मुंडन करना भी विधि के द्वारा वर्जित है। सती होने से रोकने हेतु पुलिस के प्रयासों में बाधा डालना भी अपराध है। सती स्थल पर समारोह स्थापित करना या सक्रिय भाग लेना भी कानूनी अपराध घोषित किया गया है।

महिला के भरण पोषण संबंधी प्रावधान

धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में अवयस्क पुत्र—पुत्रियों को अपने माता—पिता से भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। यदि माता—पिता

सक्षम स्थिति होने पर भी अपने पुत्र–पुत्रियों के भरण पोषण की उपेक्षा करते हैं तो न्यायालय में आवेदन करने पर ऐसे पुत्र–पुत्रियों को, उनके माता–पिता से उनकी आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के अनुसार भरण पोषण की राशि दिलाई जाती है। उक्त प्रावधान के अनुसार महिलाएं भी, जिन्हें उनके पति ने बिना कारण परित्याग कर रखा हो, वह अपने पति से भरण पोषण राशि प्राप्त कर सकती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी महिलाएं अपने पति से भरण–पोषण राशि प्राप्त कर सकती हैं।

3 महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी अधिकार :–

(क) स्त्री अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति व स्त्री धन के संबंध में किसी के भी पक्ष में वसीयत कर सकती है। यहां स्त्री धन से तात्पर्य है। विवाह के समय दिए गए उपहार, विवाह के पश्चात ससुराल के सदस्यों द्वारा दिए गए उपहार, माता–पिता, भाई द्वारा दिए उपहार तथा विवाह के समय या विवाह के पश्चात पति द्वारा भेंट दी गई सम्पत्ति या उपहार आदि। स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार है।

(ख) पुत्री का अपने पिता की सम्पत्ति में पुत्र व अपने भाई के समान हक है ।

(ग) यदि कोई पुरूष अपनी सम्पत्ति के संबंध में वसीयत किये बिना मर जाता है, तो उसकी सम्पत्ति में उसके पुत्रों के अतिरिक्त उसकी पत्नी,पुत्रियां व माता भी बराबर की हकदार होती हैं।

(घ) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में भी, स्त्री को सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार देते है।

4. कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण के संबंध में कानून :–

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 1997(6) एस.एस.सी. 211 में यह व्यवस्था की है कि कार्यस्थल पर यौन शौषण या छेड़छाड़ होना असमान शक्ति का प्रभाव है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शौषण से बचने के लिए उक्त न्यायिक निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार निर्देश दिए हैं :–

(क) कार्यस्थल पर यौन शोषण का अर्थ है कि किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार या यौन आग्रह करना। ये चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, इसके अंतर्गत शारीरिक छेड़छाड़ या अश्लील हरकतें, यौन संबंध की मांग

या अश्लील कथन व अश्लील तस्वीरें सम्मिलित है। किसी भी प्रकार का अवांछित, शारीरिक, मौखिक व सांकेतिक कृत्य जो अश्लील प्रकृति का हो यौन शौषण के अंतर्गत आएगा।

(ख) यह कानून उन महिलाओं को लागू होता है जो किसी भी विभाग में कार्य करती हों, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, चाहे उस महिला का काम निश्चित वेतन पर हो या अवैतनिक हो।

यौन उत्पीड़न रोकथाम के उपाय

(अ) यौन उत्पीड़न संबंधी कानून का प्रचार प्रसार।

(ब) कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षा, विश्राम, स्वास्थ्य तथा साफ–सफाई का माहौल सुनिश्चित किया जाए। कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रतिकूल वातावरण नहीं रहे।

(स) निजी नियोजकों को यह निर्देश औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम 1946 के अधीन लागू करने चाहिए।

(द) प्रत्येक कार्यालय में जहां महिलाएं कार्यरत हों, वहां यौन उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाए, जिसमें अध्यक्ष व एक सदस्य महिला हो।

5. स्त्रीयों का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधान :–

(क) इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी वस्तु के विज्ञापन में नारी को अश्लील रूप से प्रस्तुत किए जाने को प्रतिबंधित करना है।

(ख) स्त्री अशिष्ट रूपण का अर्थ है किसी स्त्री को या उसके शरीर के किसी अंग को ऐसी रीति से या ऐसे रूप में चित्रण करना जिसका प्रभाव अशिष्ट हो अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निदंनीय हो अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आचार के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना हो।

(ग) अधिनियम की धारा 3 ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाती है जिसमें नारी का किसी भी रूप में अशिष्ट प्रदर्शन होता हो। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, न करवाएगा, न सहयोग करेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 4 पुस्तकों, स्लाइडों, फिल्मों, रेखाचित्रों, रंगचित्रों में नारी के अशिष्ट रूपण को प्रतिबंधित करती है।

(ड.) इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, से दंडित किया जा सकता हैं। यदि अपराध की पुनरावृत्ति होती है तो दोषी को कम से कम 6 माह एवं अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास तथा एक लाख रुपए तक आर्थिक दंड की सजा हो सकती है।

6. महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के संबंध में कानून :–

(क) भारतीय दंड संहिता की धारा 354 । के अनुसार जहां कोई व्यक्ति शारीरिक स्वस्पर्श और अग्रिम क्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव अन्तर्वलित हो या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने या किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य, पुस्तकें दिखाने या उस महिला पर लैंगिक टिप्पणी या छींटाकशी करने वाला पुरुष, लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा जिसके लिए कारावास के दंड के प्रावधान किए गए हैं।

(ख) इसी प्रकार जहां कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो धारा 354 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत, ऐसे मामले में 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 354ठके अनुसार जहां कोई पुरुष किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए विवश करने के आशय से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो ऐसे मामले में कम से कम तीन वर्ष की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा व जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

(घ) जहां कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा करता है या उसे इंटरनेट, ई–मेल या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या अन्य किसी प्रकार से अनुविक्षण (मॉनीटर) करता है तो धारा 354क्के प्रावधान के अनुसार 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। पश्चात्‌वर्ती दोषसिद्धि पर अधिक अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा।

7. डायन प्रथा के संबंध में कानूनी प्रावधान–

राजस्थान में डायन प्रताड़ना की समस्या पर नियंत्रण के लिए राज्य

सरकार द्वारा वर्ष 2015 में राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 लागू किया गया। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं:–

(i) अधिनियम की धारा 2 में डायन को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ऐसी स्त्री से अभिप्राय है, जिसे स्थानीय भाषा में डायन, डाकन, डाकिन या इसी प्रकार के नाम से जाना जाता है तथा उस स्त्री के बारे में ये विश्वास या धारणा बना ली जाती है कि वह स्त्री किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है तथा वह किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचाने वाली स्त्री है।

(ii) अधिनियम की धारा 2 में डायनवृत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दुराशयपूर्वक आत्मा का आह्वान करने या सम्मोहन करने या चुराए गए माल का पैसा लेने के लिए अलौकिक या जादुई शक्ति का प्रयोग किया जाना है, जिसे टोना–टोटका, तंत्र–मंत्र, जादू–टोना, झाड़–फूंक के नामों से जाना जाता है।

(iii) डायन चिकित्सक सेवा व्यक्ति से अभिप्राय है, जिसे स्थानीय रूप में गुनिया, तांत्रिक, ओझा या अन्य नाम से जाना जाता है और जो डायन को नियंत्रित करने या उसके उपचार करने की शक्ति होने का दावा करता है।

(iv) डायन प्रथा से तात्पर्य ऐसे कोई कार्य या आचरण से है जिसमें किसी स्त्री की डायन के रूप में पहचान करना, दोष लगाना या मानहानि करना है तथा ऐसी स्त्री को मानसिक या शारीरिक रूप से तंग करना अपहानि करना या उसे क्षति पहुंचाना अथवा उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाना है।

(v) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार डायन प्रताड़ना और डायनवृत्ति का निषेध किया गया है।

(vi) जो कोई डायन प्रताड़ना कारित करता है, उसे ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो 1 वर्ष से कम का नहीं हो किन्तु जो 5 वर्ष तक हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो 50 हजार रुपए से कम नहीं होगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(vii) जो कोई इस स्त्री को डायन के रूप में चिन्हित करते हुए अखाद्य या घृणित तांत्रिक पदार्थ पीने या खाने के लिए बाध्य करता है अथवा उसे नग्न या कम वस्त्रों में, पोते हुए चेहरे या शरीर के साथ प्रदर्शित या प्रस्तुत करता है या इसी प्रकार का, कोई ऐसा कार्य करता है जो मानव गरिमा के

प्रति अनादरपूर्ण है या उसे उसके घर अथवा अन्य सम्पत्ति से बेदखल करता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो 500 रुपए से कम का नहीं होगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(viii) जो कोई भी डायनवृत्ति या अन्य समानवृत्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति को हानि अथवा क्षति पहुंचाने के आशय से करता है, तो वह कम से कम एक वर्ष के कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा अथवा ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रूपए से कम का नहीं होगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(ix) जो कोई डायन चिकित्सक के रूप में अपने पास डायन को नियंत्रित करने की शक्ति होने का दावा करता है अथवा किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से अनुष्ठान करता है अथवा जो कोई किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त कराने के तात्पर्य से किसी डायन चिकित्सक से अनुष्ठान करवाता है, तो उक्त सभी कार्य अधिनियम में दण्डनीय अपराध बनाए गए हैं।

(x) डायन प्रताड़ना से पीड़ित स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है या कम से कम एक लाख रूपये के जुर्माने या उससे अधिक राशि के जुर्माने से अथवा दोनों दंड से दण्डनीय होगा।

(xi) अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार को विहित–रीति से जांच करने के उपरांत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है।

(xii) उक्त अधिनियम की धारा 9 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां अधिनियम की धारा 4,5,6 और 7 के अधीन जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित किया गया है, वहां न्यायालय जुर्माने की रकम नियत करते समय उपचार की और पीड़ित व्यक्ति की सम्पत्ति को कारित हानि की लागत को सम्मिलित करते हुए पीड़ित व्यक्ति को कारित शारीरिक और मानसिक हानि पर विचार करेगा। न्यायालय वसूल किए गए जुर्माने का कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में पीड़ित को अदा किए जाने का आदेश देगा।

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में वृद्धावस्था की समस्याओं से जूझता है। वर्तमान समय में आर्थिक कारणों की वजह से तथा वर्तमान शिक्षा प्रणाली व जीवनशैली के फलस्वरूप भारतीय मूल्यों व संस्कारों में भी गिरावट आयी है। वर्तमान में एकाकी परिवार का प्रचलन बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप कई वृद्धजनों को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। यह हमारा नैतिक एवं सामाजिक दायित्व है कि हम वरिष्ठ नागरिकों को उनकी वृद्धावस्था में संरक्षण, देखभाल तथा स्नेह दें ताकि वह शेष जीवन सुखमय व्यतीत कर सके। इस संबंध में कई कानूनी प्रावधान व सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007–

(i) उक्त अधिनियम के अनुसार ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, अपनी संतान या उत्तराधिकारी से भरण–पोषण के रूप में मासिक भत्ता प्राप्त करने के लिए,उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं। यहां वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 60 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो। भरण पोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति के सामान्य जीवन हेतु आवश्यक साधनों के मूल्य से है।

(ii) प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी भरण–पोषण अधिकरण के रूप में सुनवाई करता है, जिसके समक्ष ऐसे वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकते हैं। अधिकरण पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् अधिकतम 10,000 रुपए की भरण–पोषण राशि का आदेश कर सकता है। भरण–पोषण भत्ता या तो आदेश या आवेदन की तारीख से देय होगा।

(iii) अधिकरण ऐसे भत्तों में परिवर्तन कर सकेगा यदि–

(क) आदेश छलपूर्वक या तथ्य की त्रुटि से पारित हुआ हो, या

(ख) माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की परिस्थिति में परिवर्तन हो गया हो।

(iv) ऐसी संतान या उत्तराधिकारी, जिसको उक्त अधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिक को मासिक भत्ता प्रदान करने हेतु आदेशित किया है और ऐसे व्यक्ति द्वारा आदेश की पालना नहीं की जाती है, तो उसे 5,000 रुपए या

03 माह के साधारण कारावास की अवधि की सजा से दण्डित किया जा सकेगा।

(v) भरण–पोषण के लिए ऐसा वरिष्ठ नागरिक ही आवेदन कर सकता है, जिसके कोई संतान है अथवा वरिष्ठ नागरिक के स्वयं की स्वामित्व की कोई संपत्ति है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनके स्वयं की कोई संतान नहीं है और उनकी संपत्ति किसी संबंधी के कब्जे में हो तो ऐसे नातेदार उन वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य है।

(vi) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक अपनी संतानों में से किसी एक या अधिक से भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा। संतान का वयस्क होना आवश्यक है।

(vii) भरण–पोषण के लिए माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक स्वयं आवेदन कर सकते हैं और यदि वह असमर्थ है तो किसी प्राधिकृत व्यक्ति एवं संगठन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं अथवा अधिकरण स्वयं भी कारवाई कर सकता है।

(viii) सुनवाई की अधिकारिता उन अधिकरणों को होगी, जहां पर ऐसी संतान या नातेदार निवास करता है अथवा जहां स्वयं माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक निवास करते हैं या उनके द्वारा अंतिम रूप से निवास किया गया है।

(ix) अधिकरण को यह अधिकार होगा कि मामले की सुनवाई करने से पहले मामले को सुलह अधिकारी के पास प्रेषित करें। ऐसे मामले में सुलह अधिकारी द्वारा एक माह के भीतर अपनी कारवाई पूरी करनी होती है।

(x) वरिष्ठ नागरिक चाहे तो अपनी पैरवी भरण–पोषण अधिकारी (जिला समाज कल्याण अधिकारी से) के माध्यम से कर सकता है अथवा स्वयं पैरवी कर सकेगा। अधिकरण में मामले की पैरवी हेतु किसी अधिवक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xi) अधिकरण को आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण का यह दायित्व होगा कि ऐसे आवेदन की सुनवाई करके यथा संभव 90 दिवस में उसका निर्णय करे। अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय अधिकरण में अपील की जा सकेगी।

(xii) राज्य सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक जिले में एक वृद्धावस्था गृह

की स्थापना करे।

जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार व शक्तियां– वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण नियम 2010 के नियम 20 द्वारा प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। साथ ही उन पर कुछ कर्तव्य भी अधिरोपित किए गए हैं। जो निम्न प्रकार हैं –

(क) जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा कि वह वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा एवं उनके गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करे।

(ख) वरिष्ठ नागरिकगण द्वारा भरण पोषण के जो आवेदन प्रस्तुत किए गए है, उनका निर्णय समय पर किया जाए तथा यह भी देखें कि अधिकरणों के आदेश की पालना हो रही है अथवा नहीं।

(ग) संबंधित जिला में संचालित वृद्धाश्रम को विहित मानकों के अनुरूप व नियमों के तहत चलाया जा रहा है या नहीं।

(घ) माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है अथवा नहीं।

(ड.) प्राकृतिक आपदाओं व अन्य आपात स्थिति में, यथा समय वरिष्ठ नागरिकों को सहायता व राहत दी जा रही है अथवा नहीं। थानों में दर्ज, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों में और उनके मामलो में न्यायालयों में यथाशीघ्र कारवाई की जा रही है अथवा नहीं।

(च) जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित हेल्प लाइन सुचारू रूप से संचालित हो रही है अथवा नहीं और यदि हेल्प लाइन स्थापित नहीं हुई है तो इस बाबत् आवश्यक कदम उठाए जाँए।

वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में पुलिस का दायित्व– वरिष्ठ नागरिक के जीवन एवं संपत्ति के संरक्षण के संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षक पर भी कुछ कर्तव्य अधिरोपित किए हैं जो निम्न प्रकार हैं –

(i) प्रत्येक पुलिस थाने में, उस थाने की अधिकारिता के भीतर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की, विशेष रूप से उनकी, जो अकेले रहते हैं (अर्थात् उनकी गृहस्थी में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हो) एक अद्यतन सूची रखी जायेगी।

(ii) पुलिस थाने का कोई प्रतिनिधि, जहां तक संभव हो, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयंसेवक के साथ नियमित अन्तरालों पर, मास में कम से कम एक बार ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से भेंट करेगा।

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के परिवादों/समस्याओं पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से ध्यान दिया जायेगा।

(iv) प्रत्येक पुलिस थाने के लिए एक या अधिक स्वयंसेवी समिति गठित की जायेगी, जो वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से जो अकेले रहते हैं, तथा पुलिस और जिला प्रशासन के बीच निरन्तर सम्पर्क सुनिश्चित करेंगे।

(v) जिला पुलिस अधीक्षक, या यस्थास्थिति, पुलिस आयुक्त नियमित अन्तरालों पर, मीडिया में और पुलिस थानों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए उठाये गये कदमों के बारे में व्यापक रूप से प्रचारित करायेंगे।

(vi) प्रत्येक पुलिस थाने में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध कारित अपराधों के सम्बन्ध में समस्त महत्वपूर्ण ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला पृथक रजिस्टर ऐसे प्रारूप में रखा जायेगा, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(vii) खण्ड (6) में निर्दिष्ट रजिस्टर, लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जायेगा और किसी पुलिस थाने का निरीक्षण करने वाला प्रत्येक अधिकारी रजिस्टर में यथा–परिवर्तित स्थिति का सदैव पुनर्विलोकन करेगा।

(viii) पुलिस थाना ऐसे अपराधों की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की दस तारीख तक जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेगा।

(ix) वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उनकी सुरक्षा के हित में अनुसरण किये जाने वाले "क्या करना है और क्या नहीं करना है" की सूची व्यापक रूप से प्रचारित की जायेगी।

(x) वरिष्ठ नागरिकों के घरेलू नौकरों और कार्यरत अन्य सेवकों के चरित्र सत्यापन, ऐसे नागरिकों के अनुरोध पर तत्परता से किये जायेंगे।

(xi) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पड़ौस में रह रहे नागरिकों, निवासी कल्याण संगमों, युवा स्वयंसेवकों, गैर–सरकारी संगठनों इत्यादि को साथ लेकर सामुदायिक पुलिसिंग का जिम्मा लिया जायेगा।

(xii) जिला पुलिस अधीक्षक पूर्व मास के दौरान रजिस्ट्रीकृत अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन की प्रगति और उठाये गये निवारक कदमों सहित पिछले मास के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों की स्थिति के बारे में प्रत्येक मास की 20 तारीख तक एक मासिक रिपोर्ट महानिदेशक, पुलिस को और जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा।

(xiii) जिला मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को नियम 22 के अधीन गठित जिला–स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(xiv) महानिदेशक, पुलिस खण्ड (गपप) के अधीन प्रस्तुत की गयी रिपोर्टों को तिमाही में एक बार संकलित करायेगा और प्रत्येक तिमाही के साथ–साथ प्रत्येक वर्ष उन्हें राज्य सरकार को, अन्य बातों के साथ, नियम 21 के अधीन गठित वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद् के समक्ष रखे जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।

वृद्धों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं

(i) वृद्धावस्था, विधवा पेंशन योजना– यह योजना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.06.1974 से लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान राज्य में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष अथवा 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला या किसी भी आयु की विधवा/परित्यक्ता को इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन का पात्र माना गया है। इस योजना के अनुसार उक्त व्यक्ति राजस्थान राज्य का वास्तविक निवासी होना चाहिए और आवेदन करने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो। जीवन निर्वाह हेतु उसके पास आय का कोई स्त्रोत नहीं हो तथा उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का नहीं हो। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में आने वाले व्यक्ति एवं नगरीय क्षेत्र के परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री–पुरुष एवं किसी भी आयु की विधवा जो एच. आई.वी. पॉजिटिव और राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी के यहां पंजीकृत हो, को पात्रता संबंधी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

(ii) भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम 2004 :–

राजस्थान सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निःसहाय/निराश्रित/वृद्ध/अशक्त/वृद्ध दम्पत्ति की उचित देखभाल हेतु, केन्द्र का संचालन करने हेतु राजस्थान राज्य श्रवण कुमार वृद्ध कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004 पारित किए गए हैं। इन केन्द्र में 60 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के पुरुष या 55 वर्ष या इससे ऊपर की आयु की महिला को प्रवेश दिया जाता है। इन केन्द्रों में 50 प्रतिशत वृद्ध लाभार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति के होने आवश्यक हैं। सभी आश्रमों का समय प्रातः 11 बजे से सायं 08 बजे तक का है। इन केन्द्रों का उद्देश्य वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को उनके परिवार से जुड़े रहते हुए उनकी निम्न आवश्यकताओं जैसे चिकित्सा सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, धार्मिक प्रवचन, वर्ष में दो बार धार्मिक स्थलों का भ्रमण आदि की पूर्ति करना व उनके अमूल्य हुनर व अनुभव द्वारा संबंधित वर्गों को लाभान्वित करना है। वृद्धों को इन आश्रमों में निःशुल्क चाय, अल्पाहार देने का भी प्रावधान है। इन आश्रमों में वृद्ध व्यक्तियों के मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है।

(iii) **वृद्ध कल्याण बोर्ड :–** वृद्ध व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, राजस्थान राज्य वृद्ध कल्याण बोर्ड का गठन जून, 2022 में किया जा चुका है।

(iv) **वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त अन्य सुविधाएं–**

(क) भारत सरकार के रेल मंत्रालयों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों अर्थात् जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, उन्हें रेल किराये में पुरुष होने की अवस्था में 30 प्रतिशत और महिला होने की स्थिति में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। ऐसी छूट प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी आयु को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज लगाना होता है।

(ख) राजस्थान सरकार के राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। ऐसी छूट प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज पेश करना होता है।

(ग) आयकर विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आयकर सीमा में छूट प्रदान की गई है।

(घ) भारतीय डाक विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ बचत योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें उन्हें 09 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सावधि व अन्य बचत योजनाओं में 0.50 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज दिया जाता है।

(ङ.) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने हेतु समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश प्रदान किए गए हैं।

मानसिक विमंदितों के अधिकार

विश्व मनोस्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को, विश्व स्तर पर मनोस्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के शरीर व सम्पति की रक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय ल्यूनेसी अधिनियम 1912 एवं ल्यूनेसी अधिनियम 1977 को समाप्त करके नया अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 बनाया गया है, जो दिनांक 22.05.1987 से प्रभाव में लाया गया। सरकार ने वर्ष 1999 में राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मंदता एवं बहु–निशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 भी पारित किया है, जिसका उद्देश्य मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्य करना है।

मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के विधिक अधिकार

(i) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के स्वच्छंद विचरण करते हुए पाये जाने पर पुलिस अधिकारी उसे अपनी अभिरक्षा/संरक्षण में लेगा तथा 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। संबंधित मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधिकारी से ऐसे व्यक्ति का परीक्षण करवाकर विकृतचित्त पाये जाने पर मानसिक चिकित्सा केन्द्र में रखने का आदेश पारित कर सकता है।

(ii) यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का कोई मित्र या संबंधी उसे स्वयं के पास रखना चाहता है, तो न्यायालय संतुष्ट होने पर कि वह उसकी उचित देखभाल करेगा,उस विक्षिप्त व्यक्ति को, उस संबंधी या मित्र को सौंपने का आदेश कर सकेगा।

(iii) यदि कोई वयस्क व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से अस्वस्थ समझता है तो वह व्यक्ति मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में उपचार के लिए स्वैच्छिक रूप से भर्ती हो सकता है तथा स्वस्थ होने पर सम्बन्धित मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम के मेडिकल ऑफिसर से स्वयं के डिस्चार्ज हेतु आवेदन करने पर उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 19 (3) के प्रावधानों के अनुसार मानसिक रोगी के स्वस्थ होने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष डिस्चार्ज के लिए आवेदन किया जा सकता है। अवयस्क के मामलों में उसके संरक्षक उसे भर्ती करा सकते है।

(iv) कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो लेकिन वह स्वयं के उपचार के लिए इच्छा व्यक्त करने में असमर्थ हो, तो उसके किसी रिश्तेदार या मित्र के द्वारा उसे ऐसी उपचार संस्थाओं में भर्ती करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भर्ती करवाये जाने के लिए कम से कम 2 चिकित्सकों, जिनमें से एक सरकारी सेवा का चिकित्सक होगा, के चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है। यदि उक्त संस्थाओं का मेडिकल ऑफिसर चाहे तो स्वयं भी उस संस्था में कार्यरत दो चिकित्सकों से परीक्षण करवा सकता है, उस स्थिति में चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(v) यदि मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को प्रभार में रखने वाला व्यक्ति, उसे ठीक प्रकार से नहीं रखता है, उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है तो पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति इस आशय की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को कर सकता है, जो उस मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को उचित अभिरक्षा में प्रेषित कर सकेगा। यदि मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति की उचित देखभाल के लिये उत्तरदायी व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करता है अथवा उस विकृतचित्त व्यक्ति की सही प्रकार से देखभाल नहीं करता है, तो उत्तरदायी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।

(vi) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 5 के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार पर मनोचिकित्सालय एवं नर्सिंग होम की स्थापना करने का दायित्व है तथा इस प्रकार के मनोचिकित्सालय एवं नर्सिंग होम की स्थापना एवं देखभाल हेतु पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं को लाईसेंस एवं अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि मनोरोगियों का उचित उपचार हो सके। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के प्रवेश व उपचार के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने भी पृथक से मानसिक चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम स्थापित किए हुए हैं।

(vii) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की सुरक्षा हेतु कार्यवाही करने के लिए संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी/पुलिसकर्मी उत्तरदायी है।

(viii) इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से लाईसेंस प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति मानसिक चिकित्सालय स्थापित या संचालित कर सकता है। यदि

कोई भी व्यक्ति मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम को इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाये रखता है, तो दोषी पाये जाने पर 3 माह के कारावास या 200/— रूपये तक के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। यदि किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में रखा जाता है, तो दोषी पाये जाने पर अस्पताल के प्रभारी अधिकारी को कारावास या अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

(ix) **उन्माद (Insanity)** छूत की बीमारी नहीं है और न ही झाड़—फूंक से ठीक हो सकती है। रोगी को समय पर चिकित्सक के पास ले जाएं। उपचार से उन्माद का ईलाज सम्भव है।

1999 के अधिनियम में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया है:—

(क) **स्वपरायणता (Autism)—** इस प्रकार के बच्चों में सम्प्रेषण तथा अभिव्यक्ति में बाधा आती है और वह नजर मिलाकर बात नहीं कर पाता। सतत् प्रशिक्षण व उपचार से इस बीमारी का निदान हो सकता है।

(ख) **मानसिक विमन्दितता (Mentally Retardedness)—** यह अविकसित दिमाग की एक स्थिति है जिसमें बच्चे का शारीरिक या मानसिक विकास सामान्य बच्चे की तुलना में धीरे होता है। विशेष शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण देकर व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ग) **सेरिब्रल पाल्सी(Cerabral Palsy) —**यह जन्मजात विकलांगता है, किन्तु आनुवांशिक नहीं है। यह जन्म के समय चिकित्सकीय अभाव के कारण या गर्भावस्था के समय लापरवाही से हो सकती है। ऐसे बच्चों के विकास हेतु फिजियोथैरेपी बहुत कारगर है।

आपराधिक विधि के अंतर्गत विकृतचित्त व्यक्तियों से संबंधित प्रावधान

विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा किया गया अविधिक कार्य, विधि की दृष्टि में अपराध नहीं होता। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अनुसार— ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण, उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 305 के अनुसार उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने पर मृत्यु दण्ड

या आजीवन कारवास तक की सजा का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा–363 के अन्तर्गत विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण के अपराध में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ऐसा व्यक्ति जो विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से संविदा करने के लिए सक्षम हो, न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य अपराध में राजीनामा प्रस्तुत कर सकता है।

विकृतचित्त व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक विचारण का स्थगन

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 25 में, धारा 328 से 339 तक विकृतचित्त व्यक्तियों के विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरण के विचारण के दौरान उन्हें प्राप्त अधिकारों की विवेचना की गई है। उक्त प्रावधानों के अनुसार यदि अभियुक्त के चिकित्सकीय परीक्षण से यह पाया जाता है कि वह विकृत्तचित्त है, तो उसके विरुद्ध विचारण स्थगित कर दिया जाएगा। न्यायालय चाहे तो पर्याप्त प्रतिभूति पेश होने पर उसे उसके संबंधी या रिश्तेदार की अभिरक्षा में प्रेषित कर सकता है और ऐसे विकृतचित्त व्यक्ति की जमानत स्वीकार कर सकता है। संबंधी या रिश्तेदार को न्यायालय के समक्ष इस बात की भी पर्याप्त प्रतिभूति (जमानत) पेश करनी होगी कि वह, उस विकृतचित्त व्यक्ति की पर्याप्त व उचित देखभाल करेगा। यदि न्यायालय की राय में जमानत नहीं ली जानी चाहिए या यदि पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दी जाती है, तो न्यायालय अभियुक्त को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से जिसे वह ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध रखने के लिए आदेश देगा। विकृतचित्त अभियुक्त के स्वस्थचित्त होने पर, संबंधित मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि पर उसका विचारण पुनः आरम्भ कर सकता है।

विकृतचित्त व्यक्तियों की संविदा शून्य

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 12 के अनुसार कोई व्यक्ति संविदा करने में तभी सक्षम कहा जाता है, जब कि वह उस समय जब संविदा करता है, उस संविदा को समझने और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्तियुक्त निर्णय लेने में समर्थ हो। जो व्यक्ति प्रायः विकृतचित्त रहता है परंतु वह कभी–कभी स्वस्थचित्त हो जाता है, तो वह अपनी स्वस्थचित्तता की अवस्था में संविदा कर सकेगा। विकृतचित्त व्यक्ति द्वारा की गई संविदा उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार शून्य होती है तथा वह विकृतचित्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं है।

विकृतचित्त व्यक्तियों के संबंध में विवाह संबंधी प्रावधान

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(2) के अनुसार विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार अपनी चित्तविकृति के कारण विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ हो या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो या उसे मानसिक रोग का दौरा बार–बार आता है, तो वह विवाह करने के अयोग्य होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि विवाह कर लेता है तो उसका विवाह मान्य बना रहेगा, जब तक कि सक्षम न्यायालय में ऐसा विवाह शून्य घोषित न करा लिया जाए। विशेष विवाह अधिनियम में भी इसी प्रकार के उपबन्ध है, कि विवाह के लिए पक्षकार स्वस्थचित्त हो।

विकृतचित्त व्यक्ति के विवाह विच्छेद बाबत विधि

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अनुसार विकृतचित्त व्यक्ति से विवाह का दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकता है। उसे दाम्पत्य संबंधों के प्रत्यास्थापन की डिक्री देकर विकृतचित्त व्यक्ति के साथ रहने को विवश नहीं किया जा सकता है। भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की धारा 19(3) के अन्तर्गत पागलपन एवं जड़ता को विवाह विच्छेद का आधार माना है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में भी दो वर्ष तक की उन्मत्तता को विवाह विच्छेद का आधार माना है।

विकृतचित्त व्यक्ति को उत्तराधिकार का अधिकार

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 के अनुसार विकृतचित्त व्यक्ति उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम है। उसे विकृतचित्त साबित करके उत्तराधिकार में सम्पत्ति लेने से वंचित नहीं किया जा सकता।

गोद लेने संबंधी कानून

हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम के अनुसार विकृतचित्त बालक को गोद लिया जा सकता है, लेकिन विकृतचित्त व्यक्ति स्वयं दत्तक लेने में सक्षम नहीं है तथा विकृतचित्त व्यक्ति अवयस्क का संरक्षक भी नहीं हो सकता है।

मुस्लिम विधि अनुसार विकृतचित्त व्यक्तियों के अधिकार

मुस्लिम विधि में एक विकृतचित्त व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का हिबा (दान) नहीं कर सकता लेकिन विकृतचित्त व्यक्ति, सम्पत्ति दान में प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसी सम्पत्ति का कब्जा उसका विधिक संरक्षक प्राप्त करेगा।

सिविल वादों में विकृतचित्त व्यक्तियों से संबंधित प्रक्रिया

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 के प्रावधानों के अनुसार विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से वाद, उसके वाद मित्र द्वारा पेश किया जाएगा। यदि विकृतचित्त व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से वादमित्र के बिना वाद संस्थित किया जाता है तो प्रतिवादी के आवेदन पर वादपत्र पत्रावली में से निकाल दिया जाएगा। न्यायालय उचित व्यक्ति को विकृतचित्त का वादमित्र या वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर सकता है। ऐसा वादार्थ संरक्षक, वाद में उद्‌भूत होने वाली समस्त कार्यवाहियों में विकृतचित्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा, उसके हितों की सदैव रक्षा करेगा, न्यायालय की अनुमति के बिना विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से समझौता या राजीनामा नहीं करेगा। यदि वाद में वादार्थ संरक्षक का भी हित है और उसके प्रतिकूल हित के कारण विकृतचित्त व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं, तो ऐसी डिक्री को विकृतचित्त व्यक्ति अपास्त/निरस्त करवा सकेगा। यदि वादमित्र विकृतचित्त व्यक्ति के हितों के विरुद्ध कार्य करता है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो ऐसे वादमित्र को न्यायालय हटा सकेगा। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 6 में उन्मत्त व्यक्ति को परिसीमा में छूट प्रदान की गयी है।

भरण–पोषण संबंधी अधिकार

यदि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य संतान जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है, का भरण–पोषण करने में उपेक्षा करता है तो न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि वह अपनी विकृतचित्त संतान को न्यायालय द्वारा निर्धारित मासिक निर्वाह भत्ता अदा करे। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है तथा विकृतचित्त व्यक्ति को भरण–पोषण भत्ता नहीं देता है तो प्रत्येक माह के भरण पोषण के भत्ते के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987

विकृतचित्त व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 (जी) में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 (जी) के अन्तर्गत आने वाले मनोरोग स्वास्थ्य केन्द्र में अभिरक्षा में रह रहा है, उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।

बंदियों के अधिकार

1. **विचाराधीन व दोषसिद्ध बन्दियों के अधिकार :–** कारागृह में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों व दोषसिद्ध बंदियों को कानून में अधिकार दिए गए हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण, अधिवक्ता नहीं कर पाने पर विचाराधीन बंदी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोषसिद्ध बंदी भी दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत अधिवक्ता प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(ii) प्रत्येक बंदी का ये अधिकार है कि उन्हें निर्धारित मात्रा व गुणवत्ता का नाश्ता व भोजन नियत समय पर दिया जाए। बंदीगण बर्तन व नियत मात्रा में दंत–मंजन, साबुन, तेल एव वस्त्र प्राप्त करने का अधिकार भी रखते हैं।

(iii) समय पर वांछित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का अधिकार।

(iv) परिजनों से नियमानुसार निश्चित समय पर मुलाकात करने का अधिकार।

(v) बंदी जेल में रहने के दौरान खाता खोलकर, उसमें राशि जमा करवा सकते हैं। उक्त राशि जेल में स्थित कैंटीन से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने तथा एस.टी.डी. फोन पर नियमानुसार वार्ता करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है।

(vi) पुलिसकर्मी द्वारा प्रताड़ना, दुर्व्यवहार पर जांच अधिकारी/न्यायालय को शिकायत करना।

(vii) महिला बंदी को 6 वर्ष तक के अपने बच्चे को अपने पास में रखने तथा उनके लिए अतिरिक्त खुराक, शिक्षा, उपचार व पालनाघर का अधिकार है।

(viii) पुलिसकर्मी किसी बंदी से निजी कार्य नहीं ले सकते और इस प्रकार बंदी को श्रम के शोषण के विरुद्ध अधिकार है।

(ix) बंदियों को खेलकूद व मनोरंजन के स्थान प्राप्त करने का अधिकार है।

(x) आवश्यकता होने पर जेल अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या बताने

का अधिकार है।

(xi) पारिवारिक समस्या के लिए संबंधित अधिकारी जैसे जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन देने का अधिकार प्राप्त है।

(xii) उक्त अधिकारों के आवेदन हेतु बंदी लेखन सामग्री प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।

(xiii) बंदी स्वयं के व्यय पर पढ़ने लिखने हेतु लेखन सामग्री प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

(xiv) दोषसिद्ध बंदी फैक्ट्री/जेल सेवा में दिए गए कार्य से अतिरिक्त मात्रा में किए गए कार्य हेतु मजदूरी पाने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार दोषसिद्ध बंदी उसे जो कार्य दिया गया है, उसे पूर्ण करने पर परिहार प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

(xv) बंदी नियमित व आपात पैरोल हेतु आवेदन कर सकता है। दोषसिद्ध बंदी नियमानुसार समय पूर्व रिहाई हेतु आवेदन करने का अधिकार रखता है।

(xvi) निजी बंदी खाते में राशि न होने पर जेल से घर जाने हेतु किराया–भाड़ा व भोजन व्यय पाने का अधिकार रखता है।

2. बंदियों के कर्तव्य–

(i) जेल में निरूद्ध विचाराधीन व दोषसिद्ध बंदी का यह कर्तव्य है कि वे जेल नियम व अधिकारियों के आदेशों की पालना करे। बंदी साफ–सुथरा व स्वच्छ रहे अर्थात् अपने शरीर, वस्त्रों, रहने के स्थान तथा बैरिक व बाड़ को स्वच्छ रखें।

(ii) बंदी का यह कर्तव्य है कि वह जेल सम्पत्ति को न तो क्षति पहुचाएं, न ही किसी प्रकार से गंदा करे और अपना सामान दूसरे बंदी को न दे और न ही किसी दूसरे बंदी का सामान ले या चुराये।

(iii) बंदी का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वस्तु की तलाशी देने को तैयार रहे तथा कोई वस्तु नहीं छुपाए।

(iv) जेल कर्मी या आगुन्तक के प्रति किसी प्रकार का असम्मान न दर्शाए तथा उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे। किसी प्रकार की झूठी शिकायत न करे और न ही झूठी शिकायत का पक्ष ले। किसी के प्रति असभ्य व अमर्यादित

भाषा का प्रयोग न करे एवं बिना सक्षम अनुमति/आदेश के अपना नियत स्थान न छोड़े। नियत समय व स्थान पर ही नित्य क्रियाओं से निवृत्त होए।

(v) बन्दी का यह कर्तव्य है कि जेल से प्राप्त भोजन का सदुपयोग करे, उसे न तो छुपाए, न नष्ट करे और न ही किसी अन्य को देंवे और न ही किसी प्रकार की उसमें मिलावट करे। जेल से प्राप्त वस्त्र, बर्तन का ही उपयोग करे।

(vi) बन्दी का यह कर्तव्य है कि स्वयं फरारी का प्रयास नहीं करे, ना हीं किसी का फरारी में सहयोग करे तथा किसी के द्वारा फरारी के प्रयास या योजना बनाने की जानकारी मिले तो तत्काल जेल प्रशासन को सूचित करे।

(vii) बंदी का यह कर्तव्य है कि किसी वस्तु को न तो स्वयं बिगाड़े और न ही नई वस्तु बनाए और न ही नई वस्तु को नष्ट करे। वह न तो स्वयं को चोट पहुँचाएगा और ना ही अक्षम होने का प्रयास करेगा। किसी तरह की हिंसा, उपद्रव ,अनुशासनहीनता का कारण नहीं बनेगा। निषेध वस्तुओं को मंगाने या प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा तथा अन्य बंदियों को ऐसा करने से रोकेगा।

(viii) दोषसिद्ध बंदियों का यह कर्तव्य है कि वे आवंटित कार्य सतर्कता व मन लगाकर करे। फैक्ट्री में बिना अनुमति के कोई सामान नहीं बनाएगा। फैक्ट्री में कोई सामान नहीं मिलाएगा, ना ही छिपाएगा और ना ही नष्ट करेगा। उक्त दोषसिद्ध बंदी अपनी गैंग के साथ जेल में नियत स्थान पर रहेगा। गैंग अथवा कार्यस्थल पर जेल अधिकारी व बंदी अधिकारी के निर्देश की पालना करेगा।

3. जेल अपराध –

बंदियों के निम्न प्रकार के कृत्य जेल अपराध की श्रेणी में आएंगे :–

(i) किसी तरह का आक्रमण या शक्ति का आपराधिक उपयोग।

(ii) किसी के प्रति अपमानजनक या धमकीपूर्ण भाषा का प्रयोग।

(iii) किसी के साथ अनैतिक, अभद्र या अनुचित व्यवहार करना।

(iv) हिदायतन जेल सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करना।

(v) हिस्ट्री टिकट, अभिलेख या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें

बिगाड़ना।

(vi) जेल नियमावली में निषेध वस्तुओं को प्राप्त करना या रखना या स्थानान्तरित करना, रोग फैलाना।

(vii) किसी बंदी या जेल अधिकारी के विरुद्ध झूठा आरोप लगाना।

(viii) जेल में कहीं आग लगने, फरारी या फरारी के प्रयास अथवा फरारी की तैयारी की योजना या षड़यंत्र रचना।

(ix) किसी बंदी या अधिकारी पर आक्रमण या उसकी तैयारी की पूर्व जानकारी होते हुए, जानबूझकर नहीं बताना या बताने से इंकार करना।

(x) फरारी का षड़यंत्र रचना या फरारी में सहयोग करना।

(xi) दोषसिद्ध बंदी के द्वारा नियत श्रम से जानबूझकर स्वयं को अक्षम बनाना, लगातार कार्य करने से इंकार करना। कठोर कारावास से दंडित बंदी द्वारा कार्य समय में जानबूझकर बेकार अथवा कार्य के प्रति उदासीन रहना या नियत कार्य को बिगाड़ना या कुप्रबंध करना। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना हथकड़ी, बेड़ी अथवा डंडा को रगड़ना, काटना, बिगाड़ना या हटाना भी जेल अपराध है।

4. जेल दंड–

कृत्य पालन नहीं करने या जेल अपराध करने पर जेल दंड देने के प्रावधान हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

(i) औपचारिक चेतावनी जो जेल अधीक्षक द्वारा व्यक्तिशः बंदी को संबोधित करके दी जाएगी जिसका अंकन हिस्ट्री टिकट में किया जाएगा।

(ii) कैदी की मुलाकात अवधि का अंतराल बढ़ाना अथवा निश्चित समय के लिए मुलाकात बंद किया जाना।

(iii) दोषसिद्ध बंदी के मामले में, उक्त कैदी को पूर्व की अपेक्षा अधिक कठोर काम पर लगाना।

(iv) गैर कठोर कारावास वाले बंदी अर्थात् साधारण कारावास के कैदी को कठोर श्रम वाले कार्य में लगाना।

(v) दोषसिद्ध बंदी के मामले में जेल नियमावली में परिहार के अधीन दि कुछ विशेषाधिकार को एक निर्धारित अवधि के लिए बंद करना।

(vi) दोषसिद्ध बंदियों के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के

अनुसार हथकड़ी या निर्धारित पैटर्न व वजन की बेड़ियां कुछ समय के लिए लगाया जाना।

(vii) किसी निश्चित अवधि के लिए पृथकवास में रखना, जो 3 माह से अधिक नहीं हो अथवा एकांतवास में रखना जिसकी अवधि एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं हो।

5. नियमित पैरोल का अधिकार–

(i) दोषसिद्ध बंदी का आचरण उत्तम होने पर तथा दण्डावधि एक वर्ष से अधिक होने एवं परिहार सहित सजा का 1/4 भाग पूर्ण होने पर पैरोल हेतु आवेदन किया जा सकता है।

(ii) प्रथम पैरोल 20 दिन, दूसरा 30 दिन, उसके बाद 40–40 दिन के पैरोल दिए जा सकते हैं।

(iii) प्रत्येक पैरोल, पूर्व पैरोल में आचरण अच्छा होने पर दिया जाता है।

(iv) पैरोल के उपभोग के बाद 11 माह पश्चात ही अगले पैरोल के लिए आवेदन किया जा सकता है।

6. आपात पैरोल का अधिकार–

(i) जेल में सजा भुगत रहे किसी कैदी के साथ कभी भी कोई पारिवारिक आकस्मिकता की स्थिति में आपात पैरोल देय होती है।

(ii) ऐसी आकस्मिकता कैदी के निकट के रक्त एवं प्रथम संबंध रिश्तेदार की मृत्यु होने, गंभीर बीमारी अथवा विवाह जैसे काम होने पर, जिसमें कैदी की अनुपस्थिति में रस्में पूर्ण नहीं हो सकती हो, उन परिस्थितियों में ही देय है।

7. दोषसिद्ध बंदी का खुले शिविर में स्थानान्तरण–

(i) कैदी ने अपनी मूल सजा की एक तिहाई अवधि पूरी कर ली हो।

(ii) विवाहित कैदी ही सपरिवार खुले शिविर पर जाने योग्य है।

(iii) बंदी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अधीन दंडित नहीं हुआ हो।

(iv) बंदी जेल अथवा किसी तरह की न्यायिक अभिरक्षा से फरार न हुआ हो अथवा फरारी का प्रयास नहीं किया हो।

(v) बंदी को 5 वर्ष से अधिक अवधि हेतु दण्डित किया गया हो।

(vi) बन्दी दो से अधिक प्रकरणों में दण्डित होकर निरूद्ध ना हो।

(vii) बन्दी का जेल में आचरण उत्तम रहा हो अर्थात् जिसे खुला बंदी शिविर पर छोड़े जाने की सिफारिश की दिनांक से पूर्व दो वर्ष की अवधि में जेल दंड नहीं दिया गया हो।

(viii) बन्दी की उम्र 25 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो।

(ix) बन्दी पूर्णतः स्वस्थ हो अर्थात् जिसको किसी तरह की शारीरिक विकलांगता एवं मानसिक विकृति न हो।

(x) बन्दी सिविल कैदी न हो।

(xi) बन्दी को आवारागर्दी के प्रकरण में सजा नहीं दी गई हो।

(xii) बन्दी ने जिला फैक्ट्री अथवा जेल सेवा में उसे दिया गया काम नियमित रूप से पूरा किया हो।

मानवाधिकार दिवस

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में मानवाधिकार दिवस के ही दिन वैश्विक उद्घोषणा के संबंध में अग्रणी और प्रमुख उपलब्धियां हासिल कीं।
- जिस दिन संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया, उस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- हर साल मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कई कदम उठाए जाते हैं।
- व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों को मानवाधिकारों को बनाए रखना और उनकी रक्षा करनी चाहिए।
- मौलिक मानवाधिकारों के लिए खड़े होने की पवित्र प्रथा इस दुनिया को एक बेहतर रहने की जगह बनाएगी।
- परिवर्तन लाने की दिशा में युवा सक्रिय रूप से संलग्न हैं; इसलिए मानवाधिकार दिवस में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- कम उम्र से ही मानवाधिकारों के बारे में पढ़ाना बुद्धिमानी है ताकि दुनिया एक बेहतर कल देख सके।
- सभी के लिए सतत विकास प्राप्त करने के लिए मानवाधिकार दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- मानवाधिकारों ने केंद्रीय महत्व दिया है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां काम करने का प्रयास करती हैं।

चैक दे दिया, जो हस्ताक्षर करके,
अब जिम्मेदारी से,सारे पैसे लौटाओ।
फैसल करवा कर, राजीनामा से,
समस्त चिंताओं से,मुक्ति पा जाओ।।

मन में हैं चिंता, बैंक के कर्ज की,
ब्याज भी जुड़ कर, हुआ ज्यादा।
लोक अदालत में, मिलती हैं छूट,
फिर ऋण मुक्ति में, कैसी बाधा।।

सीमा विवाद, नामांतरण का झगड़ा,
लोक–अदालत में, हल मिल जायेंगे।
कोर्ट–कचहरी का, जब छूटे चक्कर,
तभी ध्यान से खेती, हम कर पायेंगे।।

बन जाता है नासूर, छोटा घाव भी,
इलाज समय पर, जो मिल न पाए।
झगड़ों का इलाज, हैं लोक अदालत,
अन्यथा विवाद तो, बढ़ते ही जाए।।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

Phone: 0141-2227481, Fax: 2227602

Toll Free Help Line 15100/9928900900

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in

website: www.rlsa.gov.in